उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या- 1/8/2001-का-4-2004
लखनऊ:: दिनाँक:: 17 जून, 2004

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कृपया वैभागिक सिविल सेवा बोर्ड के गठन से संबंधित कार्मिक विभाग के समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 12 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि अपने नियंत्रणाधीन विभागों के अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु वैभागिक सिविल सेवा बोर्ड का तत्काल गठन करते हुए, कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

2. उपरोक्त के संबंध में आपसे पुन: अनुरोध है कि यदि आपके नियंत्रणाधीन विभागों में वैभागिक सिविल सेवा बोर्ड का गठन कर लिया गया हो तो उसकी सूचना तत्काल कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । यह सूचना एक प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक है ।

भुइयाँदीन
विशेष सचिव ।